

क्षतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और क्षतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि के रूप में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य या भारत सरकार या मा० न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन भी किया जायेगा।


प्रभागीय निदेशक
सायाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)


इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०
डिविजनल कार्यालय बरेली

कुमार विवश / KUMAR VIVASH
सी. एम. (रिटेल सेल) / Sr. Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
राज्य कार्यालय / Bareilly Divisional Office